# बिहार सरकार
## ऊर्जा विभाग

पत्रांक—प्र0/ऊर्जा DDUGJY—03/2015 पटना, दिनांक—

सेवा में,

**महालेखाकार (लेखा एवं हक),**
बिहार,वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के सफल कार्यान्वयन के लिये नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा परियोजना प्रबंधन एजेन्सी (PMA) की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति एवं भारत सरकार द्वारा इसके लिये स्वीकृत राशि 29.14 करोड़ (उनतीस करोड़ चौदह लाख) रूपये के अतिरिक्त शेष राशि 72.05 करोड़ (बहत्तर करोड़ पाँच लाख) रूपये, जिसमें से नॉर्थ एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को क्रमशः 37.62 करोड़ (सैंतीस करोड़ बासठ लाख) रूपये एवं 34.43 करोड़ (चौंतीस करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये राज्य योजना से स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018—19 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 37.62 करोड़ (सैंतीस करोड़ बासठ लाख) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 34.43 करोड़ (चौंतीस करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

**आदेश—स्वीकृत।**

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फिडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं मीटरीकरण करने हेतु नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के लिए क्रमशः 3394.10 करोड़ रूपये एवं 2433.13 करोड़ रूपये अर्थात कुल राशि 5827.23 करोड़ रूपये की स्वीकृति क्रमशः विभागीय राज्यादेश संख्या—2455 दिनांक—23.08.2015 एवं राज्यादेश संख्या—2453 दिनांक—23.08.2015 के द्वारा प्रदान की गई। पुनः नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के लिये विभागीय राज्यादेश संख्या—265 दिनांक—30.01.2019 एवं राज्यादेश संख्या—2256 दिनांक—14.08.2018 द्वारा क्रमशः 3814.06 करोड़ तथा 2615.63 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का कार्य प्रगति पर है एवं इसका कार्यान्वयन मिशन मोड में कराया जा रहा है।

2. इस योजना की नियमावली के तहत योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु परियोजना प्रबंधन एजेन्सी (PMA) की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा योजना की राशि प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार परियोजना प्रबंधन एजेन्सी (पी0एम0ए0) शुल्क हेतु कुल योजना की स्वीकृत राशि का अधिकतम 0.5 प्रतिशत ही 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा नोडल एजेन्सी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) के माध्यम से प्राप्त होगा एवं इसके अतिरिक्त राशि वितरण कम्पनियों को स्वयं के संसाधनों से उठाना होगा। परियोजना प्रबंधन एजेन्सी द्वारा योजना की प्रगति की समीक्षा कर ससमय प्रतिवेदन देना, कार्यो की गुणवत्ता की निगरानी करना, समयबद्ध तरीके से कार्यो का सम्पादन कराना तथा क्लोजर रिपोर्ट समर्पित करना है।

3. परियोजना प्रबंधन एजेन्सी की नियुक्ति हेतु ई–टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गयी। मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुभवी प्रोफेशनल अभियंताओं की कमी के कारण आवश्यकता का आकलन करते हुए QCBS प्रणाली के आधार पर PMA का चयन किया गया। परियोजना प्रबंधन एजेन्सी पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 54.59 करोड़ (चौवन करोड़ उनसठ लाख) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 46.60 करोड (छियालीस करोड़ साठ लाख) रूपये अर्थात कुल 101.19 करोड़ (एक सौ एक करोड़ उन्नीस लाख) रूपये खर्च होने का अनुमान है।

4. पूर्व में 11वीं योजना एवं 12वीं योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं हेतु कार्यान्वयन व्यय कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में वितरण कंपनियों को मिलता था जिस राशि के माध्यम से पी0एम0ए0 एवं अन्य कार्य में होने वाले खर्च को विद्युत वितरण कम्पनियाँ वहन करती थी। वर्त्तमान की डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 में कार्यान्वयन व्यय के रूप में मिलने वाली राशि के प्रावधान को हटा दिया गया है एवं उपर में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत सिर्फ 0.5 प्रतिशत पी0एम0ए0 की नियुक्ति के लिए अधिकतम राशि उपलब्ध कराई गई है। मार्गदर्शिका के अनुरूप वितरण कम्पनियों द्वारा अतिरिक्त राशि स्वयं के संसाधनों से कराना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 37.62 करोड़ एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को 34.43 करोड़ रूपये अर्थात कुल 72.05 करोड़ (बहत्तर करोड़ पॉच लाख) रूपये अनुमानित राशि की मांग की गई है।

5. उक्त आलोक में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) के सफल कार्यान्वयन के लिये नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा परियोजना प्रबंधन एजेन्सी (PMA) की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति एवं भारत सरकार द्वारा इसके लिये स्वीकृत राशि 29.14 करोड़ (उनतीस करोड़ चौदह लाख) रूपये के अतिरिक्त शेष राशि 72.05 करोड़ (बहत्तर करोड़ पाँच लाख) रूपये, जिसमें से नॉर्थ एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को क्रमशः 37.62 करोड़ (सैंतीस करोड़ बासठ लाख) रूपये एवं 34.43 करोड़ (चौंतीस करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये राज्य योजना से स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 37.62 करोड़ (सैंतीस करोड़ बासठ लाख) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 34.43 करोड़ (चौंतीस करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0111–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900111 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048–नॉर्थ बिहार पावर

डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

8. नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या क्रमशः PLA276 एवं PLA275 से की जाएगी।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/ऊर्जा DDUGJY–03/2015 के पृष्ठ संख्या–75/टि0 पर दिनांक–12.02.2019 को प्राप्त है।

12. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/ऊर्जा DDUGJY–03/2015 के पृष्ठ संख्या– 80/टि0 पर दिनांक–22.02.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/ऊर्जा DDUGJY–03/2015 /पटना, दिनांक––

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
**सरकार के प्रधान सचिव।**

ज्ञापांक–प्र0/ऊर्जा DDUGJY–03/2015 544 /पटना, दिनांक–25/02/2019

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

11

E:/Budget file/F.Y.2019/Energy Deptt.(Allotments & Others)/A.O & S.O/Sanction Orders